

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.-औसियां (जोधपुर) की अनुशंभा के आधार पर श्री हन्नी कुमार कटारिया, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, औसियां (जोधपुर) को दिनांक-04.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/223

दिनांक- 13/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर


2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.-औसियां (जोधपुर)

3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु

4-प्रधानाचार्य, राउमावि, औसियां (जोधपुर) को श्री हन्नी कुमार कटारिया, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री हन्नी कुमार कटारिया, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, औसियां (जोधपुर)

6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.-औसियां (जोधपुर) की अनुशंसा के आधार पर श्रीमती प्रज्ञा राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, औसियां (जोधपुर) को दिनांक-04.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/224

दिनांक- 13/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर


2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.-औसियां (जोधपुर)

3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु

4-प्रधानाचार्य, राबाउमावि, औसियां (जोधपुर) को श्रीमती प्रज्ञा राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5- श्रीमती प्रज्ञा राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, औसियां (जोधपुर)

6-रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत युनिक विकलांग आई.डी. एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोलायत (बीकानेर) की अनुशंषा के आधार पर श्री राजाराम नैण, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मिठड़िया (बीकानेर) को दिनांक-18.10.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/225 दिनांक-13/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, कोलायत (बीकानेर)
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, मिठड़िया (बीकानेर)
- 5- श्री राजाराम नैण, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मिठड़िया (बीकानेर)
- 6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर